

Area	Boundaries	Ownership	Remarks
square meter	North.—Khasra number 54 East.—Khasra number 54 South.—Road West.—Khasra number 54	Gram Panchayat	

conf

[No. 2/1/81-M]

संख्या 2712.—केन्द्रीय सरकार ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अभिलेख अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) की शर्तानुसार, भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की एक अधिसूचना सं. सं.भा. 143 तारीख 28 दिसम्बर 1988, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 10 जनवरी, 1988 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो भाग की सूचना की थी और उन अधिसूचना की एक प्रति प्राचीन संस्मारक के स्थानीय एक महजबराह स्थान पर लगा दी गई थी।

और उक्त अधिसूचना जनता को 18 जनवरी, 1988 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपासद अनुसूची में प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अर्थ में सम्मिलित किया गया राजस्व प्लॉट संख्यांक
1	2	3	5

राज्य	पंचायत	ग्राम नाम	संस्मारक का स्थान	सर्वेक्षण प्लॉट सं. 07
-------	--------	-----------	-------------------	------------------------

दिशा	मीटर	स्वामित्व	टिप्पणियाँ
7	8	9	

उत्तर—सर्वेक्षण प्लॉट सं. 90	मध्य प्रदेश सरकार	धार्मिक उपयोग
पूर्व—सर्वेक्षण प्लॉट सं. 90		
दक्षिण—सर्वेक्षण प्लॉट सं. 96		
पश्चिम—सड़क		

0.016 Hect.

[सं. 2/1/एम.पी./2/63-एम]

2712.—Whereas by a notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S.O. 143 dated the 28th December, 1988 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India date the 16th January, 1988 the Central Government gave two months' notice of the intention to declare the ancient monument specified in the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument as required by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas, the said notification was made available to the public on the 18th January, 1988;

And whereas, the objections received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.